एम.ए.सी.प्र.सं.–269/2023 व 270/2023
श्रीमती संतोष गुप्ता व अन्य बनाम अमजद खांन व अन्य
श्रीमती संतोष गुप्ता व अन्य बनाम अमजद खान व अन्य
सी.एन.आर.नं.–RJAJ080002782023
सी.एन.आर.नं.–RJAJ080002792023
दिनांक–28.04.2026

मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–महेन्द्र कुमार ढाबी.
आर.जे.एस.

(1)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा संख्या–269/2023

1. श्रीमती संतोष गुप्ता पत्नी श्री अजीत कुमार गुप्ता, आयु–61 वर्ष.
2. अजीत कुमार गुप्ता पुत्र श्री सियाराम गुप्ता, आयु–65 वर्ष.
3. एकांश माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री उमंग गुप्ता, आयु–11 माह. नाबालिग प्रार्थी जरिए प्राकृतिक संरक्षिका दादी श्रीमती संतोष गुप्ता।
   निवासीगण–24/174, ईदगाह रोड़, सब्जी मण्डी के पास केसरगंज, जिला अजमेर(राज.)

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. अमजद खान पुत्र श्री रमजान खान, आयु–29 वर्ष, निवासी–232, मस्जिद वाला मौहल्ला, गांव हरसाना, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (राज.) (**चालक** ट्रेलर नंबर–आर.जे.30–जी.ए.–6727)

2. सुनिल कुमार पुत्र श्री सुल्तान, आयु–30 वर्ष, प्रथम पता–राजनगर का गुढा, वार्ड नंबर–3, राजनगर, जिला राजसमंद। द्वितीय पता–वॉर्ड नंबर–6, ढाणी पिरोथा वाली, पुलिस थाना शाहपुरा, जिला जयपुर(राज.) (**रजि. स्वामी** ट्रेलर)

3. यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिए प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय बी.एस.एन.एल. बिल्डिंग सावित्री चौराहा, शास्त्रीनगर रोड, अजमेर (राज.)

.... अप्रार्थीगण

(2)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा संख्या–270/2023

1. श्रीमती संतोष गुप्ता पत्नी श्री अजीत कुमार गुप्ता, आयु–61 वर्ष.
2. अजीत कुमार गुप्ता पुत्र श्री सियाराम गुप्ता, आयु–65 वर्ष.
3. एकांश माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री उमंग गुप्ता, आयु–11 माह. नाबालिग प्रार्थी जरिए प्राकृतिक संरक्षिका दादी श्रीमती संतोष गुप्ता।
   निवासीगण–24/174, ईदगाह रोड़, सब्जी मण्डी के पास केसरगंज, जिला अजमेर(राज.)

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. अमजद खान पुत्र श्री रमजान खान, आयु–29 वर्ष, निवासी–232, मस्जिद वाला मौहल्ला, गांव हरसाना, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (राज.) (**चालक** ट्रेलर नंबर–आर.जे.30–जी.ए.–6727)

2. सुनिल कुमार पुत्र श्री सुल्तान, आयु–30 वर्ष, प्रथम पता–राजनगर का गुढा, वार्ड नंबर–3, राजनगर, जिला राजसमंद। द्वितीय पता–वॉर्ड नंबर–6, ढाणी पिरोथा वाली, पुलिस थाना शाहपुरा, जिला जयपुर(राज.) (**रजि. स्वामी** ट्रेलर)

3. यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिए प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय बी.एस.एन.एल. बिल्डिंग सावित्री चौराहा, शास्त्रीनगर रोड, अजमेर (राज.)

.... अप्रार्थीगण

याचिकाएं अंतर्गत धारा– 166 मोटर यान अधिनियम 1988

उपस्थितः–

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री अभिषेक कुमार पारीक जे.पी.शर्मा एण्ड एसोसिएटस
अप्रार्थी क्रम–1 व 2–उपस्थित नहीं
अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी–श्री अरूण अग्रवाल

निर्णय **दिनांकः–28.04.2026**

1 प्रथम याचिका के प्रार्थीगण श्रीमती संतोष गुप्ता–अजीत कुमार (मृतक उमंग गुप्ता के माता–पिता जो द्वितीय याचिका की मृतका श्रीमती माधवी के सास–ससुर) एवं एकांश माहेश्वरी (दोनों याचिकाओं के मृतकों की संतान) द्वारा उनसे संबंधित उपरोक्त याचिकाएं इस अधिकरण में क्रमशः दिनांक 07.08.2023 को पेश की गई जो एक ही दुर्घटना से संबंधित होने के कारण समेकित की गई हैं और जिनका निस्तारण इस निर्णय द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

याचिकाओं के तथ्य

2. संक्षेप में याचिकाओं के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक मृतकगण उमंग गुप्ता व श्रीमती माधवी अपने परिवार के साथ दिनांक 07.02.2023 को टवेरा कार संख्या–आर.जे.01–टी.ए.–2104 में अजमेर से शादी समारोह में मथुरा जा रहे थे जब वे सांय 4.00 बजे के आसपास महुआ, जिला दौसा (राज.) थाना क्षेत्र के अंतर्गत समलेटी पाडली रोड पर पहुंचे तो इनके आगे चल रहे ट्रेलर संख्या–आर.जे.30–जी.ए.–6727 को चालक अप्रार्थी क्रम–01 ने तेजगति, लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए बीच सडक में अचानक ब्रेक लगा दिए जिससे उक्त् टवेरा कार जो सही दिशा में सही गति से चल रही थी ट्रेलर में पीछे से घुस जाने से उमंग गुप्ता, उसकी पत्नी श्रीमती माधवी , माता, पिता व बेटे तथा टवेरा कार चालक के गम्भीर चोटें आई और उमंग गुप्ता की पत्नी माधवी की मौके पर मृत्यु हो गई और उमंग गुप्ता की दौराने इलाज एस.एम.एस.अस्पताल, जयपुर में मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना महुआ जिला दौसा में देकर मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें बाद अन्वेषण ट्रेलर चालक अप्रार्थी क्रम–01 के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है । मृतकगण् की

जिस ट्रेलर से दुर्घटना कारित हुई थी उसका चालक अप्रार्थी क्रम–1 व रजिस्टर्ड स्वामी अप्रार्थी क्रम –2 है तथा उक्त वाहन बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी के पास बीमित था। प्रथम याचिका का मृतक उमंग गुप्ता मृत्यु के समय 30 वर्षीय स्वस्थ कदकाठी का व्यक्ति था जो एच.डी.एफ.सी.बैंक शाखा अजमेर में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत होकर वेतन व अन्य स्रोतों से 4,21,688/–रूपये वार्षिक आय अर्जित करता था जिसकी दुर्घटना में मृत्यु से हुई क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण ने सभी मदों में मिलाकर याचिका में वर्णितानुसार कुल–1,73,37,392/–रूपये की राशि और द्वितीय याचिका की मृतका श्रीमती माधवी मृत्यु के समय 25 वर्षीया स्वस्थ कदकाठी की महिला थी जो हर्षिता एसोसिएट्स सिविल लाइन,अजमेर में अकाउण्टेंट के पद पर कार्यरत होकर वेतन व अन्य स्रोतों से 5,00,000/–रूपये वार्षिक आय अर्जित करती थी जिसकी दुर्घटना में मृत्यु से हुई क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण ने सभी मदों में मिलाकर याचिका में वर्णितानुसार कुल–02,08,80,000/–रूपये की राशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी क्रम–1 व 2 क्रमशः वाहन चालक व वाहन स्वामी की स्थिति

3. अप्रार्थी क्रम–1 व 2 क्रमशः वाहन चालक व मालिक के बावजूद इत्तला उपस्थित नहीं आने पर उनकी गैर हाजरी दर्ज की गई है।

अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी का जवाब

4. अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी की ओर से याचिकाओं का जवाब पेश कर अभिकथन किया गया है कि राशि बढाचढा कर मांगी गई है। यह भी कहा गया है कि याचिकाओं के तथ्य, कथित तिथि, समय व स्थान पर दुर्घटना होना अस्वीकार है। उनका कहना है कि कथित दुर्घटना में लिप्त ट्रेलर बरवक्त दुर्घटना उनके यहां बीमित था। लेकिन कथित दुर्घटना बीमित ट्रेलर से किसी भी प्रकार से कारित नहीं हुई है वरन कथित दुर्घटना टवेरा कार संख्या–आर.जे.20–टी.ए.–2104 को उसके चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाकर बीमित ट्रेलर से टकराने से हुई है जिसमें ट्रेलर चालक अप्रार्थी क्रम–01 की कोई गलती व लापरवाही नहीं है। परन्तु मृतक के परिजनों ने बीमित ट्रेलर की बीमा कंपनी से क्लेम पाने के आशय से बदनियति,मिलीभगत व दूरभि संधि के तहत अप्रार्थी क्रम–01 के विरूद्व गलत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए चालान पेश कराया है। उनका कथन रहा है कि टवेरा कार चालक, स्वामी व बीमा कंपनी क्लेम याचिकाओं में आवश्यक पक्षकार है। विकल्प में उन्होंने प्रकरण योगदायी उपेक्षा का होना बताते हुए अप्रार्थी चालक के पास वक्त दुर्घटना वाहन को चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस, परमिट व

फिटनेस नहीं होने का कथन किया है और अंत में उन्होंने याचिकायें खारिज करने का निवेदन किया है।

विवाद्यक

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विरचित विवाद्यकों को निम्न प्रकार समेकित किया गयाः

1. क्या दिनांक 07.02.2023 को सांय 4.00 बजे पुलिस थाना महुआ जिला दौसा के क्षेत्राधिकार में एन.एच.21, पर समलेटी पाडली आम सडक पर अप्रार्थी क्रम–1 ने अप्रार्थी क्रम–2 के ट्रेलर संख्या–आर.जे.30–जी.ए.–6727 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर बीच सड़क पर अचानक ब्रेक लगा दिए जिससे टवेरा कार संख्या–आर.जे.20–टी.ए.–2104 पीछे से ट्रेलर से टकराने से टवेरा कार में सवार उमंग गुप्ता व श्रीमती माधवी माहेश्वरी की मृत्यु कारित हुई ? ...प्रार्थीगण

2. क्या अप्रार्थी क्रम–1 बरवक्त दुर्घटना वाहन को अप्रार्थी क्रम–2 वाहन मालिक के नियोजन व हितार्थ चला रहा था ? ...प्रार्थीगण

3. क्या दुर्घटना हेतु टवेरा वाहन संख्या–आर.जे.20–टी.ए.–2104 का चालक स्वयं भी समान रूप से जिम्मेदार है और इस प्रकार यह प्रकरण योगदायी उपेक्षा (contributory negligence) का है ? ....अप्रार्थी बीमा कंपनी

4. क्या अप्रार्थी क्रम –3 बीमा कंपनी की जवाब याचिका की प्रारंभिक आपत्ति व अतिरिक्त कथन में वर्णित कारणों एवं बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–1 के पास वाहन को चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस, परमिट व फिटनेस नहीं होने से बीमा शर्तो का उल्लंघन होने से वे क्षतिपूर्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं है ? ....अप्रार्थी बीमा कंपनी

5. अनुतोष

6. साक्ष्य प्रार्थीगण में ए.ड.–1 श्रीमती संतोष गुप्ता , ए.ड.2 रणवीर सिंह परीक्षित हुई है। अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

7. उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। इस संबंध विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष का तर्क रहा है कि मृतका श्रीमती माधवी उसके पति उमंग गुप्ता व अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दिनांक 07.02.2023 को टवेरा कार संख्या–आर.जे.01–टी.ए.–2104 में अजमेर से शादी समारोह में मथुरा जा रहे थे जब वे सांय 4.00 बजे के आसपास महुआ, जिला दौसा (राज.) थाना क्षेत्र के अंतर्गत समलेटी पाडली रोड पर पहुंचे तो इनके आगे चल रहे ट्रेलर संख्या–आर.जे.30–जी.ए.–6727 को चालक अप्रार्थी क्रम–01 ने तेजगति, लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए बीच सडक में अचानक ब्रेक लगा दिए जिससे उक्त् टवेरा कार जो कि सही दिशा में सामान्य गति से चल रही थी उसके चालक द्वारा पूरी तरह से ब्रेक लगाने का प्रयास किया गया परन्तु उसके बावजूद भी यह टवेरा कार चालक साइड अर्थात दांई तरफ से ट्रक के पीछे से टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस संबंध में जो फर्द जप्ती दुर्घटना कारित ट्रेलर अभिलेख पर है उसमें भी इस ट्रेलर का पीछे की तरफ कण्डेक्टर साइड में क्षतिग्रस्त होना व फर्द निरीक्षण टवेरा कार में चालक साइड से क्षतिग्रस्त होना इस बात की पुष्टि करते है जो यह दर्शाता है कि ट्रेलर को चालक ने अचानक बीच सडक पर ब्रेक लगाकर रोक दिया जिससे टवेरा कार चालक द्वारा टवेरा कार को रोकने का प्रयास करने के बावजूद भी टवेरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उनका यह भी तर्क रहा है कि जहां राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां वाहन की गति होना स्वभाविक है और अचानक आगे चल रहे किसी भी वाहन के ब्रेक लगा देने से यह नहीं माना जा सकता कि पीछे वाला वाहन अचानक चाहे कितनी भी दूरी पर हो वह अपने वाहन पर नियंत्रण कर पाएं।इस प्रकार पूर्ण रूप से जो दुर्घटना में गफलत व लापरवाही रही है वह ट्रेलर चालक अप्रार्थी क्रम–01 की रही है और इस संबंध में उनके द्वारा जो तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें भी संपूर्ण अनुसंधान करने के उपरांत अनुसंधान अधिकारी ने अप्रार्थी क्रम–01 को इस दुर्घटना का आरोपी मानते हुए उसके विरूद्ध सक्षम फौजदारी न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–03 का यह तर्क कि तहरीरी रिपोर्ट एक दिन की देरी से प्रस्तुत की गई है परन्तु जहां तक दुर्घटना का प्रश्न है, प्रकरण में दुर्घटना दिनांक 07.02.2023 को सांय 4.00 बजे महुआ थाना क्षेत्र जिला पाली में हुई है और मृतकगण जो कि अजमेर निवासी थे और सूचना मिलने पर उनके परिजन तुरंत दौसा पहुंचे और मौके पर ही चूंकि श्रीमती माधवी की मृत्यु हो गई थी और उसका पति उमंग गुप्ता गम्भीर रूप से आहत हुआ था जिसकी जयपुर एस.एम.एस.अस्पताल में मृत्यु हो गई थी जिस पर तत्काल ही श्रीमती माधवी के भाई ईशान द्वारा अगले दिन सुबह 10.15 बजे पुलिस थाना महुंआ जिला दौसा पर तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। ऐसी स्थिति में जो देरी हुई है उसका सुस्पष्ट स्पष्टीकरण अभिलेख पर है और प्रकरण में किसी प्रकार की मिलीभगत रही हो यह माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि मृतकगण अजमेर जिले के निवासीगण है और वाहन चालक अमजद खान लक्ष्मणगढ, जिला

अलवर व वाहन स्वामी सुनिल शाहपुरा जयपुर के निवासी है और इतना बड़ा हादसा होने के पश्चात कोई भी परिवार वाहन को संलिप्त करें यह भी माने जाने योग्य नहीं है जबकि जो फर्द जप्ती वाहन दुर्घटना कारित वाहन की है उसमें भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि दुर्घटना के बाद इस ट्रेलर को सुरक्षार्थ हेतु चौकी परिसर में खडा करवा लिया गया था। जहां तक इस मृतक उमंग का प्रश्न है, मृतक उमंग दुर्घटना के समय एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा अजमेर में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था और वित्तीय सलाह देकर भी आय अर्जित करता था। इस संबंध में उनके द्वारा इस उमंग की आयकर विवरणिकाओं के साथ–साथ उसे एच.डी.एफ.सी.बैंक से मिलने वाले वेतन के संबंध में बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत किए गए है जिससे उसकी वार्षिक आय 4,21,688/–रूपये होना प्रमाणित है। साथ ही जहां तक मृतका श्रीमती माधवी का प्रश्न है, मृतका श्रीमती माधवी दुर्घटना के समय हर्षिता एसोसिएट्स सिविल लाइन, अजमेर में अकाउण्टेंट के पद पर कार्यरत थी जो वेतन व अन्य स्रोतों से 5,00,000/–रूपये वार्षिक आय अर्जित करती थी और इस संबंध हर्षिता एसोसिएट्स से मिलने वाले वेतन के संबंध में बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत किया है जिसमें हर्षिता एसोसिएट्स का मृतका के खाते में 40,000/–रूपये मासिक जमा कराना स्पष्ट है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अप्रार्थी पक्ष का यह कहना कि मृतका श्रीमती माधवी मेटरनिटी लीव पर चली गई थी उसके पश्चात मृतका द्वारा पुनः संस्थान में ज्वॉइन किया गया या नहीं क्या इस संबंध में कोई ज्वाइनिंग लेटर या ज्वाइन करने के पश्चात उसके बैंक खाते में वेतन आया हो ऐसा कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा मृतका श्रीमती माधवी जो हर्षिता एसोसिएटस में कार्य करती थी उसके पार्टनर रणवीर सिंह को भी परीक्षित ए.ड.–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है और उसने स्पष्ट रूप से जो हर्षिता एसोसिएटस का Concern Letter प्रदर्श–36 दिया है उसकी पुष्टि करते हुए यह कथन किया है कि मृतका श्रीमती माधवी दिनांक 04.05.2022 ये 31.01.2023 तक मेटरनिटी लीव पर थी और दिनांक 29.309.2022 को उसके संतान उत्पन्न हुई थी और मृतका ने पुनः दिनांक 01.02.2023 को संस्थान ज्वाइन कर लिया था। इस मृतका को मेटरनिटी लीव के पश्चात 07 दिन ही ज्वाइन किए हुए थे और इस 07 दिवस की अवधि में ही उसकी दुर्धटना में मृत्यु हो गई थी जिस कारण से 07 दिन का वेतन चूंकि मृतका व उसके पति उमंग दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और जो एक पुत्र था जो नाबालिग था जिसका बैंक खाता खुला हुआ नहीं था इसलिए उसके खाते में यह राशि डाली नहीं जा सकती थी और इसकी पुष्टि उनकी ओर से प्रस्तुत साक्षी ए.ड.–2 रणवीर सिंह के बयान से होती है। उनका यह भी तर्क है कि मृतका ने हर्षिता एसोसिएट्स में मेटरनिटी लीव के पश्चात पुनः ज्वाइन नहीं किया हो या दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–1 की लापरवाही से नहीं हुई हो इस संबंध में यदि अप्रार्थी क्रम–03 चाहते तो अपना जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करवा सकते थे परन्तु ऐसी कोई जांच रिपोर्ट पेश

नहीं करना यह दर्शाता है कि अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी को यह ज्ञान था कि अप्रार्थी क्रम–01 की दुर्घटना में लापरवाही रही है और मृतका श्रीमती माधवी द्वारा हर्षिता एसोसिएट्स में अकाउण्टेंट के पद पर कार्य किया जा रहा था। प्रार्थीगण द्वारा अपनी दोनों क्लेम याचिकाओं में अंकित तथ्यों को पूर्ण रूप से अधिकरण के समक्ष प्रमाणित किया गया है जिसका किसी भी प्रकार से खण्डन अप्रार्थी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अप्रार्थी बीमा कंपनी का यह कथन कि प्रार्थी पक्ष क्लेम राशि टवेरा वाहन से भी प्राप्त कर सकते थे। उनके यहां बीमित वाहन को मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है परन्तु यह तर्क भी एक क्षण के लिए मान लिया जाएं तो प्रथमतः तो यह प्रार्थी की स्वयं की इच्छा है कि वह किस वाहन से क्लेम राशि प्राप्त करेगा तथा साथ ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि दुर्घटना कारित वाहन व दुर्घटना ग्रस्त दोनों वाहन एक ही बीमा कंपनी के यहां बीमित है।अंत में उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए याचिकाएं स्वीकार करने का निवेदन किया है।

1. 2015 AIR SCW 3169 Khenyei vs New India assurance co. Ltd.
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील नं.6151/2021 नेशनल इ.कं.लिमि.बनाम चामुण्डेश्वरी निर्णीत दिनांक 01.10.2021
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी.(सी) नंबर–10664/2019 निधि भार्गव व अन्य बनाम नेशनल इ.कं.लिमि. निर्णीत दिनांक 17.10.2019

8. इसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की गई है जो अभिलेख का भाग है। इस संबंध में उनके द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए याचिका खारिज करने का निवेदन किया है।

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील नं. 10145/2016 निशान सिंह बनाम ओरियेंटल इ.कं.लिमि. निर्णीत दिनांक 27.04.2018
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी.(सी) नंबर–28062–63/2023 एस.मोहम्मद हक्कीम बनाम नेशनल इ.कं.लिमि. निर्णीत दिनांक 29.07.2025
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी.(सी) नंबर–14988/2023 ओरियेंटल इं.कं.लिमि. बनाम टाटा ए.आई. जी. जन. इ.कं. लिमि. निर्णीत दिनांक 24.02.2026

9. उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससमान अवालोकन करते हुए मेरे विनम्र मत में उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है। इस संबंध में प्रत्येक विवाद्यक पर मेरा न्यायिक विनिश्चय निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या–1

10. इस विवाद्यक का सिद्धभार प्रार्थीगण पर है। जहां तक प्राथमिक रूप से विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–03 का यह तर्क कि तहरीरी रिपोर्ट एक दिन की देरी से प्रस्तुत की गई है। इस संबंध

में अभिलेख का अवलोकन करते है तो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–01 ईशान भार्गव जो मृतका श्रीमती माधवी का भाई है उसके द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें दुर्घटना दिनांक 07.02.2023 को सांय 4.00 बजे महुआ थाना क्षेत्र जिला दौसा में होना दर्शाते हुए अगले दिन दिनांक 08.02.2023 प्रातः 10.15 बजे प्रस्तुत कर दी गई है। प्रार्थी पक्ष सभी अजमेर के निवाासीगण है और दुर्घटना दौसा जिले में शाम 4.00 बजे होना बताया गया है जिसमें परिवादी ईशान की बहन श्रीमती माधवी की मौके पर मृत्यु होना व उसके जीजा उमंग गुप्ता की सांय 7.00 बजे एस.एम.एस.अस्पताल, जयपुर में मृत्यु होना बताया गया है। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जहां परिवार के दो सदस्यों की अचानक मृत्यु हो गई हो वहां अजमेर का निवासी दौसा जिले में पहुंचने के पश्चात उसके द्वारा पहले अपने जीजा को एस.एम.एस.अस्पताल, जयपुर लाने के पश्चात मृत्यु होने पर फिर दौसा जाकर दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अतः स्पष्ट रूप से दर्शित है कि ऐसी स्थिति में तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में इतनी देरी होना तो स्वभाविक है। साथ ही कथित दुर्घटना प्रार्थीगण के वाहन व अप्रार्थी क्रम–1 के वाहनों से नहीं हुई हो यह तथ्य भी प्रदर्श–05 दस्तावेज से माने जाने योग्य नहीं रह जाता है जो फर्द जप्ती दुर्घटना कारित वाहन प्रदर्श–05 है उसमें दुर्घटना के पश्चात चौकी परिसर में सुरक्षार्थ खडा करवा लिया गया था जहां से उसे जप्त किया गया है।

11. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष का महत्वपूर्ण तर्क यह रहा है कि कथित दुर्घटना प्रार्थी पक्ष के चालक की लापरवाही से हुई थी जिसे कि वाहन चलाते समय दोनों वाहनों के मध्य उचित दूरी रखी जानी चाहिए थी जो उसके द्वारा नहीं रखी गई है जिसमें अप्रार्थी क्रम्–1 ट्रेलर चालक की कोई लापरवाही नहीं रही है। परन्तु इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य अभिलेख पर जो है उसमें कहीं पर भी अप्रार्थी पक्ष द्वारा यह तथ्य अधिकरण के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है कि ट्रेलर चालक द्वारा अचानक ब्रेक नहीं लगाएं गए हो न ही ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर अप्रार्थी क्रम–1 ट्रेलर चालक द्वारा या अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी द्वारा अधिकरण् के समक्ष प्रकट किया गया है कि ट्रेलर चालक के समक्ष ऐसी कोई अचानक विपरीत स्थिति प्रकट हो गई थी जिससे कि उसे अचानक ब्रेक लगाने पडे अर्थात ट्रेलर चालक को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक ब्रेक क्यों लगाने पडे इसका कोई स्पष्टीकरण अप्रार्थी पक्ष की ओर से अधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इस सबंध में यहां यह उल्लेखनीय रहेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का गति में होना स्वभाविक है और इस संबंध में ही नक्शा मौका प्रदर्श–04 का अवलोकन करते है तो इसमें "ए" स्थान पर ट्रेलर का चलना बताया गया है जो डिवाइडर के बिल्कुल पास वाली लेन में चलना बताया गया है जबकि भारी वाहनों की प्रथम लेन होती है, जो प्राथमिक रूप से ट्रेलर चालक की गलती व लापरवाही को दर्शित करती है कि उसके द्वारा गलत लेन में अपने ट्रेलर को चलाया जा रहा था । नक्शा मौका प्रदर्श–04 का अवलोकन करते है तो इसमें दुर्घटना "एक्स" स्थान पर घटित हुई है और "ए" स्थान जो दर्शाया

गया है वहां से दुर्घटनाग्रस्त वाहन टवेरा चालक द्वारा अपने वाहन को ब्रेक लगाने के उपरांत मोडने का प्रयास भी किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाग्रस्त टवेरा चालक साइड से ट्रेलर के पीछे खलासी साइड से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और इसकी पुष्टि फर्द जप्ती ट्रेलर प्रदर्श'–05 व फर्द निरीक्षण सुपुदर्गी दुर्घटनाग्रत वाहन प्रदर्श–08 से होती है जो दर्शाता है कि ट्रेलर चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने के कारण अपने वाहन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया हो जिससे यह दुर्घटना घटित हुई थी ऐसा तथ्य अप्रार्थी पक्ष द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रकट नहीं किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय रहेगा कि निश्चित रूप से पीछे वाला टवेरा वाहन तेजगति अनियंत्रित गति से होता तो पीछे बैठी अन्य सवारियां जो मृतक उमंग के माता–पिता व चार माह का पुत्र था भी गम्भीर रूप से घायल होते जो भी यह दर्शाता है कि टवेरा वाहन चालक द्वारा नियंत्रित व उचित दूरी बनाते हुए अपनी टवेरा कार को संचालित किया जा रहा था। इस सबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत 2015 AIR SCW 3169 Khenyei vs New India assurance co. Ltd. भी महत्वपूर्ण है।

12 इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील नं. 10145/2016 निशान सिंह बनाम ओरियेंटल इ.कं.लिमि. निर्णीत दिनांक 27.04.2018 प्रस्तुत किया गया है उसका मेरे विनम्र मत में ससम्मान अवलोकन किया गया परन्तु उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य व परिस्थतियां हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से वह इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

13. इसी क्रम में साक्ष्य का अवलोकन करते है तो साक्षी श्रीमती संतोष ए.ड.–01 जो मृतक उमंग की माता व मृतका श्रीमती माधवी की सास है जो भी इस टवेरा कार में दुर्घटना के समय सवार थी को परीक्षित कराया गया है जिससे अप्रार्थी क्रम–03 द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है जिसने प्रतिपरीक्षा में इस बात को सही बताया है कि वह कार में पीछे बैठी हुई थी और पीछे सीट पर बैठे अन्य लोगों से बातें कर रही थी इसलिए उसने दुर्घटना कैसे हुई नहीं देखी थी। कार की स्पीड 40–50 कि.मी. प्रति घण्टा थी और ट्रक लगभग 20–25 मीटर आगे चल रहा था। अर्थात उनकी कार की स्पीड 40–50 कि.मी.थी और कार व ट्रेलर के मध्य 20–25 मीटर की दूरी होना यह दर्शाता है कि टवेरा को चालक उचित दूरी बनाते हुए सामान्य गति से चला रहा था। साथ ही इस साक्षीया का प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन रहा है। कि ट्रक जो आगे चल रहा था उसने अचानक ब्रेक लगा दिए थे। अर्थात इस साक्षीया द्वारा भी स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि ट्रेलर चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा दिए गए थे जिससे यह दुर्घटना घटित हुई थी। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय रहेगा कि यदि अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी यह मानती थी कि उनके यहां बीमित वाहन

की इस दुर्घटना में कोई गलती व लापरवाही नहीं थी तो उनके द्वारा इस बिन्दु पर कोई जांच कराने का प्रयास किया गया हो कि ट्रेलर चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाएं गए या नहीं लगाएं गए या किन परिस्थितियों में लगाएं गए ऐसी कोई जांच रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं हैं न ही अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य के खण्डन में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश की गई है जिससे प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य का खण्डन हो पाता। इसके साथ ही तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–01 प्रस्तुत होने पर इस पर अनुसंधान करते हुए अनुसंधान अधिकारी ने अप्रार्थी क्रम–01 को इस दुर्घटना का आरोपी मानते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श–11 अंतर्गत धारा–279, 337, 338, 304 ए भा.द.सं में सक्षम विचारण फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त आरोप पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। .

14. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह तथ्य पूर्ण रूप से सुस्पष्ट है कि दिनांक 07.02.2023 को सांय 4.00 बजे पुलिस थाना महुआ जिला दौसा के क्षेत्राधिकार में एन.एच.21, पर समलेटी पाडली आम सडक पर अप्रार्थी क्रम–1 ने अप्रार्थी क्रम–2 के ट्रेलर संख्या–आर.जे.30–जी.ए.–6727 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर बीच सड़क पर अचानक ब्रेक लगा दिए जिससे टवेरा कार संख्या–आर.जे.20–टी.ए.–2104 पीछे से ट्रेलर से टकराने से टवेरा कार में सवार उमंग गुप्ता व श्रीमती माधवी माहेश्वरी की मृत्यु कारित हुई । अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाता है।

विवाद्यक संख्या– 2

15. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। इस संबंध में पत्रावली पर ट्रेलर संख्या–आर.जे.30–जी.ए.–6727 के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श–14 व बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श–15 के अनुसार उक्त वाहन का अप्रार्थी क्रम–2 रजिस्टर्ड स्वामी व बीमाधारी है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा जारी नोटिस धारा–133 एम.वी.एक्ट व धारा–134 एम.वी.एक्ट के नोटिसों क्रमशः प्रदर्श–09 व 10 के जवाबों में अप्रार्थी क्रम–1 का वरवक्त दुर्घटना वाहन चालक होना प्रमाणित है। उक्त वाहन बीमा पॉलिसी प्रदर्श–15 के अनुसार दिनांक 02.12.2022 से 01.12.2023 तक की अवधि के लिए अर्थात दुर्घटना की तिथि 07.02.2023 को वाहन अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के पास बीमित होना प्रमाणित स्थिति है जिसे बीमा कंपनी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है।

क्षतिपूर्ति का दायित्व

16 क्षतिपूर्ति के संबंध में अधिकरण अपकृत्य विधि के सिद्धांत Vicarious liability का उल्लेख करना उचित समझता है। विधि के सिद्धांत के अनुसार सेवक के कार्य के लिए मालिक उत्तरदायी माना जाता है। यह निर्विवादित तथ्य है कि चूंकि अप्रार्थी क्रम-01 अपने चालक के कर्तव्य के रूप में

अर्थात अप्रार्थी संख्या-02 के नियोजन के रूप में ट्रेलर को चला रहा था। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार क्षतिपूर्ति की उसकी liability को नियोजक (वाहन स्वामी) की liability में merge किया जाता है। ऐसे में चालक की जिम्मेदारी का विस्तार Vicarious liability तहत उसके स्वामी तक होता है। अतः उपरोक्त विवाद्यक इस प्रकार विनिश्चित किया जाता है कि अप्रार्थी क्रम-1 दिनांक 07.02.2023 को कथित ट्रेलर को अप्रार्थी क्रम-2 मालिक के नियोजन में और उसके हितार्थ चला रहा था और इसलिए अप्रार्थी संख्या-2 वाहन स्वामी अपकृत्यपूर्ण लापरवाही और उससे हुई मृतकगण की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति (Damages) हेतु जिम्मेदार है। साथ ही अप्रार्थी क्रम-3 बीमा कंपनी भी बीमा करार के दायित्व के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय उक्त प्रकार से किया जाता है।

विवाद्यक संख्या– 3

17. इस विवाद्यक का सिद्धिभार भार अप्रार्थी क्रम-03 बीमा कंपनी पर है। जहां तक योगदायी उपेक्षा का प्रश्न है, कथित टवेरा कार चालक की किस प्रकार से उपेक्षा रही यह अप्रार्थीगण साबित नहीं कर पाए है वरन् इस संबंध में विवाद्यक संख्या-01 में विस्तृत विवेचन किए जाने से यहां पर अब इसके अलग से विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय उक्त प्रकार से किया जाता है।

विवाद्यक संख्या– 4

18. इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी क्रम-3 बीमा कंपनी पर है। इस प्रकरण में प्रश्नगत अप्रार्थी चालक अमजद खान का ड्राइविंग लाईसेंस प्रदर्श-13 पत्रावली पर पेश हुआ है जो दिनांक 18.03.2020 से 17.03.2025 तक की अवधि के लिए ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए वैध व प्रभावी है एवं दुर्घटना दिनांक 04.022023 को घटित हुई थी और इस तिथि को वह वाहन चलाने हेतु वैध रूप से सक्षम था तथा योग्य था और इसके विपरीत कोई तथ्य नहीं है। विपक्षी संख्या-3 बीमा कंपनी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि उक्त ड्राईविंग लाईसेंस वक्त दुर्घटना वैध व प्रभावी नहीं हो। अतः वक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम-1 के पास वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस साबित है। अन्य आपत्तियों बाबत विवाद्यक संख्या-1 में विस्तृत विवेचन किये जाने से यहां पर अब उनके अलग से विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय प्रार्थी के पक्ष में किया जाता है।

अनुतोष

(1)
(प्र .सं.–269/2023)
श्रीमती संतोष गुप्ता व अन्य बनाम अमजद खान व अन्य

क्षतिपूर्ति का निर्धारण

19. अधिकरण को यह निर्णीत करना है कि प्रार्थीगण कितनी क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी है। क्षतिपूर्ति की गणना हेतु यह अधिकरण निम्न factors पर विचार करता है।

मृतक की आयु का बिन्दुः–

20. क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम अधिकरण को पत्रावली पर आई साक्ष्य से मृतक उमंग गुप्ता की आयु व मासिक आय पर विचार करना है। प्रार्थीगण ने याचिका में मृतक उमंग गुप्ता की मृत्यु के समय उम्र–30 वर्ष अंकित की है। ए.ड.–1 प्रार्थीया श्रीमती संतोष गुप्ता ने अपने बयान में उसके पुत्र मृतक उमंग की जन्मतिथि 16.04.1992 होना बताया है। प्रदर्श–12 प्रथम सूचना बाबत अकाल या अचानक मौत के संबंध में(धारा–174 द.प्र.सं.) मृतक की उम्र 31 वर्ष, प्रदर्श–03 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श–27 फर्द पंचायतनामा लाश, प्रदर्श–28 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श–29 पी.एम.आर. बाबत दी गई तहरीर में मृतक की मृत्यु के समय उम्र–30 वर्ष अंकित है। परन्तु अभिलेख पर प्रस्तुत मृतक के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–24 एवं पेन कार्ड की प्रति प्रदर्श–46 में उसकी जन्मतिथि 16.04.1992 अंकित है जिसका किसी प्रकार का खण्डन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है ऐसे में उक्त दस्तावेज पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। तदुनसार मृतक की मृत्यु के समय उम्र–30 वर्ष 10 माह 21 दिन निर्धारित किया जाना अधिकरण न्यायोचित समझता है।

मृतक की आय का बिन्दुः–

21. जहां तक मृतक की आय का संबंध हैं, इस संबंध में प्रार्थीगण ने अपनी याचिका में मृतक उमंग गुप्ता का एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा अजमेर में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत होकर वेतन व अन्य स्रोतों से कुल–4,21,688/–रूपये वार्षिक आय अर्जित करना बताया है एवं मृतक की आय व कार्य बाबत इसी प्रकार के तथ्यों को ए.ड.–01 श्रीमती संतोष गुप्ता ने अपने बयान में दोहराते हुए प्रदर्श–38 एच.डी.एफ.सी. बैंक स्टेटमेंट, प्रदर्श–39 वेतन स्लिप एवं प्रदर्श–40 से 45 एवं प्रदर्श–48 व 49 आयकर से संबंधित दस्तावेज व विवरणिकाएं प्रस्तुत की है। हालांकि ए.ड.–01 श्रीमती संतोष ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया है कि उसने उसके पुत्र उमंग के एच.डी.एफ.सी. बैंक में मैनेजर के पद पर कार्य करने बाबत कोई नियुक्ति प्रमाण पत्र पेश

नहीं किया है। परन्तु उपरोक्त दस्तावेजों प्रदर्श–38 बैंक स्टेटमेंट एवं प्रदर्श–39 वेतन स्लिप से उसका एच.डी.एफ.सी. बैंक में कार्यरत होना प्रमाणित है। प्रार्थीगण ने मृतक की आय बाबत उपरोक्त आयकर से संबंधित दस्तावेज विवरणिकाएं भी प्रस्तुत की है जिनमें बचत खाते का ब्याज, जमा पर ब्याज आदि अन्य स्रोतों से भी आय होना दर्शित है। परन्तु इस संबंध में ए.ड.1 श्रीमती संतोष गुप्ता ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसके पुत्र को दिनांक 25.01.2023 को एच.डी.एफ.सी. बैंक से 30,770/–रूपये मासिक वेतन मिला था। उसके पुत्र को अन्य स्रोतों से आय बाबत उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। उसने आगे कथन किया है कि उसने उसके पुत्र के वित्तीय सलाह बाबत कोई रेकार्ड पेश नहीं किया है। उसने वर्ष 2021–2022 कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणिका पेश नहीं की है। अतः प्रार्थीगण मृतक उमंग गुप्ता की अन्य स्रोतों से आय साबित नहीं कर सके है। परन्तु अभिलेख पर मृतक उमंग गुप्ता के बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श–38 व वेतन स्लिप प्रदर्श–39 के अनुसार उसका मृत्यु के समय वेतन 30,770/–रूपये मासिक अर्थात 3,69,240/–रूपये वार्षिक होना प्रमाणित है जिसे ए.ड–01 श्रीमती संतोष ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान भी स्वीकार किया है और जिसका किसी भी प्रकार से खण्डन अप्रार्थी पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर मृतक उमंग गुप्ता की मृत्यु के समय आय 3,69,240/–रूपये वार्षिक निर्धारित की जाना न्यायोचित है।

आय में वृद्धि की भावी प्रत्याशा का बिन्दुः

22. जहां तक मृतक की आय में भावी प्रत्याशा का संबंध है, प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतक स्थाई सेवा में था उसकी समय–समय पर नियमानुसार वेतन वृद्धि व प्रमोशन होते एवं उसकी आमदनी में भविष्य में अवश्य ही बढ़ोत्तरी होती ऐसे में मृतका की आमदनी में भावी प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर का निर्धारण किया जाये।

23. इसके विपरीत अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि मृतक की आमदनी के संबंध में पेश दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए मृतक के विभाग के व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः मृतक की आमदनी में भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित नहीं है।

24. अधिकरण ने दोनेां पक्षों क्रे तर्को पर मनन किया। जहां तक प्रार्थीगण को मृतक की आय में भावी प्रत्याशा जोड़ कर क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में ध्यानपूर्वक मनन किया गया। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी एवं 2009 डी.एन.जे. (एस.सी.) 684 श्रीमती**

सरला वर्मा व अन्य बनाम डी.टी.सी. व अन्य में यह माना है कि जहां मृतक स्थाई नौकरी या सरकारी सेवा में हो और उसका निश्चित वेतन हो तो उस स्थिति में मृतक की उम्र–40 वर्ष से कम होने पर 50 प्रतिशत की भावी वृद्धि की जायेगी। मृतक एच.डी.एफ.सी. बैंक में कार्यरत था । अतः उपरोक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन लेने पर अधिकरण वर्तमान प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, मृतक के कार्य की स्थाई प्रकृति, उसकी उम्र को मददेनजर रखते हुए मृतक की उपरोक्त आमदनी में 50 प्रतिशत की भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार मृतक की उपरोक्त आमदनी 3,69,240/–रूपये में 50 प्रतिशत की भावी वृद्धि मानते हुए मृतक का वार्षिक वेतन 5,53,860/–रूपये निर्धारित की जाना उचित मानता है।

आश्रितता का बिन्दु

25. जहां तक आश्रितता का संबंध है, याचिका में मृतक पर उसके माता पिता व नाबालिग पुत्र को आश्रित बताया गया है। परन्तु ए.ड.1 श्रीमती संतोष गुप्ता की प्रतिपरीक्षा का अवलोकन करते है तो उसने कथन किया है कि उसके मृतक पुत्र उमंग के अलावा एक बडा बेटा और बेटी है जो दोनों ही विवाहित है। उसने उसके बडे बेटे का उनके साथ रहना बताया है। अतः यह प्रमाणित है कि मृतक के अलावा मृतक के माता पिता के एक बडा पुत्र और है जो उनके साथ ही रहता है। ऐसे में मृतक के माता पिता को पूर्ण रूप से मृतक पुत्र उमंग पर आश्रित नहीं माना जा सकता। मृतक पर उसका नाबालिग पुत्र एकांश माहेश्वरी को आश्रित होना माना जा सकता है। अतः **2009 डी.एन.जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी.टी.सी. व अन्य एवं 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में प्रतिपादित विधिक स्थिति के अनुसार मृतक के व्यक्तिगत खर्चे के लिए उपरोक्त आमदनी का 1/3 भाग कटौती करने के उपरांत मृतक की उम्र को देखते हुए 16 का गुणांक परिकल्पित कर क्षतिपूर्ति का आकलन किया जायेगा। तद्नुसार प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में = 3,69,240X16 = 59,07,840/–रूपये का प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Conventional Heads

26. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय 2009 डी.एन. जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी. टी. सी. व अन्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी** की पृष्ठभूमि में यह अधिकरण प्रार्थीगण 1 व 2 मृतक के पिता –माता को पुत्र सुख,प्रेम,स्नेह व मार्गदर्शन वंचन हेतु प्रत्येक को 48,400/–रूपये(48400X2= 96,800/–रूपये),मृतक की संतान को पितृत्व सुख, स्नेह व मार्गदर्शन वंचन

हेतु प्रत्येक को 48,400/–रूपये (प्रकार इस मद में कुल–1,45,200/–रूपये)दिलाया जाना न्यायोचित मानता है।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय **2009 डी.एन. जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी. टी. सी. व अन्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी** में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार अंतिम संस्कार पेटे इस मद में प्रार्थीगण को एक मुश्त राशि 18,150/– रूपये दिलाया जाना उचित है।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय **2009 डी.एन. जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी. टी. सी. व अन्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार लॉस ऑफ स्टेटस हेतु 18,150/– रूपये दिलाये जाने न्यायोचित है।

29. परिणामतः प्रार्थीगण को निम्न अनुसार प्रतिकर राशि दिलाई जाती हैः–

मद		**प्रतिकर राशि**
मृतक की आय		3,69,240/–रूपये वार्षिक
भविष्यवर्ती आय (50% वृद्धि के पश्चात)		5,53,860/– रूपये वार्षिक
मृतक स्वयं पर खर्च की जाने वाली राशि 1/3 कम करने के पश्चात आय		3,69,240/– रूपये वार्षिक
गुणांक		X16
कुल आय से होने वाली क्षति		59,07,840/–रूपये
Conventional Heads	प्रार्थीगण 1 व 2 मृतक के माता पिता को पुत्र सुख वंचन हेतु प्रत्येक को 48,400/-	48,400X2= 96,800/–रूपये
	प्रार्थी क्रम-3 को पिता सुख वंचन हेतु प्रत्येक को 48,400/-	48,400/–रूपये
	अंतिम संस्कार पेटे	18,150/–रूपये
	लॉस ऑफ स्टेटस हेतु	18,150/–रूपये
कुल क्षतिपूर्ति राशि का योग		**60,89,340/–रूपये**

30. अतः संपूर्ण विवेचन से प्रार्थीगण उपरोक्तानुसार कुल–60,89,340/– रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण को अवार्ड राशि पर क्लेम याचिका दायर करने की तिथि से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत है।

(2)
(प्र .सं.–270/2023)
श्रीमती संतोष गुप्ता व अन्य बनाम अमजद खान व अन्य

क्षतिपूर्ति का निर्धारण

31. अधिकरण को यह निर्णीत करना है कि प्रार्थीगण कितनी क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी है। क्षतिपूर्ति की गणना हेतु यह अधिकरण निम्न factors पर विचार करता है।

मृतका की आयु का बिन्दुः–

32. क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम अधिकरण को पत्रावली पर आई साक्ष्य से मृतका श्रीमती माधवी की आयु व मासिक आय पर विचार करना है। प्रार्थीगण ने याचिका में मृतका माधवी की मृत्यु के समय उम्र–25 वर्ष अंकित की है। ए.ड.–1 प्रार्थीया श्रीमती संतोष गुप्ता ने अपने बयान में उसकी पुत्र वधु मृतका श्रीमती माधवी की जन्मतिथि 04.03.1997 होना बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श–25, फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श–30, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श–31 में मृतका की मृत्यु के समय उम्र–28 वर्ष अंकित है। परन्तु अभिलेख पर प्रस्तुत मृतका के आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श–20 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–24 में उसकी जन्मतिथि 04.03.1997 अंकित है जिसका किसी प्रकार का खण्डन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है ऐसे में उक्त दस्तावेज पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। तदुनसार मृतका की मृत्यु के समय उम्र–25 वर्ष 11 माह 03 दिन निर्धारित किया जाना अधिकरण न्यायोचित समझता है।

मृतका की आय का बिन्दुः–

33. जहां तक मृतका की आय का संबंध हैं, इस संबंध में प्रार्थीगण ने अपनी याचिका में मृतका श्रीमती माधवी का हर्षिता एसोसिएट्स सिविल लाइन, अजमेर में अकाउण्टेंट के पद पर कार्यरत होकर वेतन व अन्य स्रोतों से 5,00,000/–रूपये वार्षिक आय अर्जित करना अंकित किया है। मृतका के कार्य व आय बाबत उपरोक्त तथ्यों को ही ए.ड.–01 श्रीमती संतोष ने अपने बयानों में दोहराते हुए प्रदर्श–36 Concern Letter, प्रदर्श–37 पंजाब नेशनल बैंक स्टेटमेंट प्रदर्शित कराएं है। इस संबंध में अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि मृतका ने दिनांक 04.05.2022 से 31.01.2023 मेटरनिटी लीव ली थी एवं लेकिन मेटरनिटी लीव के पश्चात कार्य भार ग्रहण करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसे में मृतका वक्त दुर्घटना 07.02.2023 को सेवा में नहीं थी। यह सही है कि मृतका श्रीमती माधवी की मेटरनिटी लीव के पश्चात कोई ज्वाइनिंग रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है । परन्तु इस संबंध में साक्षी ए.ड.–2 रणवीर सिंह जो कि श्रीमती माधवी जिस संस्थान में कार्य करती थी उसका पार्टनर है को परीक्षित कराया गया है जिसने अपने बयान में स्पष्ट रूप से इस मृतका श्रीमती माधवी का उनके संस्थान में दिनांक 16.09.2020 से अकाउण्टेंट के पद पर कार्यरत होना व जिसका मासिक वेतन 40,000/–रूपये होना बताया है। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि मृतका श्रीमती माधवी दिनांक 04.05.2022 से 31.1.2023 तक मेटरनिटी लीव पर थी और उसके दिनांक 29.09.2023 को एक पुत्र हुआ था। मेटरनिटी लीव के बाद श्रीमती माधवी दिनांक 01.02.2023 को अकाउण्टेंट के पद पर पुनः पदस्थापित हो गई थी। मृतका श्रीमती माधवी का उनके यहां कार्यरत होने का दस्तावेज प्रदर्श–36

इस साक्षी द्वारा प्रदर्शित कराया गया है जिसमें इन तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस साक्षी से जब प्रतिपरीक्षा की गई है तो उसमें इसने इस बात को सही बताया है कि उसने मृतका श्रीमती माधवी का नियुक्ति पत्र पेश नहीं किया है। स्वतः कहा कि 12–13 आदमी काम करते है, प्राइवेट फर्म में नियुक्ति पत्र नहीं देते है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–03 द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जहां संस्थान में 12–13 कर्मकार कार्यरत हो वहां उनका हाजरी रजिस्टर नहीं रखा जाता हो यह अपने आप में इस साक्षी की साक्ष्य को अधिकरण के समक्ष गलत प्रकट करता है एवं माधवी के मेटरनिटी लीव के बाद ज्वाइन करने के बाद 07 दिन का कोई वेतन भुगतान नहीं किया था,जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि मृतका श्रीमती माधवी द्वारा मेटरनिटी लीव के बाद पुनः ज्वाइन कर लिया गया होता तो उसके खाते में वेतन अवश्य आता। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष का तर्क रहा है कि चूंकि मृतका श्रीमती माधवी मेटरनिटी लीव के पश्चात दिनांक 01.02.2023 को ही ज्वाइन किया और दिनांक 07.02.2023 को उक्त दुर्घटना घटित हो गई थी और इस सात दिन का वेतन चूंकि इस दुर्घटना में श्रीमती माधवी व उसके पति उमंग गुप्ता दोनों की मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र तत्समय 04 माह का था ऐसी स्थिति में संस्थान वेतन किस खाते में डालता इस कारण संस्थान द्वारा वेतन नहीं डाला गया।उक्त तर्को के संबंध में साक्ष्य का अवलोकन करते है तो रणवीर सिंह ए.ड.2 से जो प्रतिपरीक्षा अप्रार्थी क्रम–03 द्वारा की गई है जिसमें उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि यह सही है कि मृतका श्रीमती माधवी के मेटरनिटी लीव के बाद ज्वाइन करने के बाद सात दिन का कोई वेतन भुगतान नहीं किया गया। स्वतः कहा कि उसके बाद एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी।

34. साथ ही इस संबंध में साक्षीया श्रीमती संतोष ए.ड.–01 का भी प्रतिपरीक्षा में यह बयान रहा है कि यह सही है कि मृतका श्रीमती माधवी को मेटरनिटी लीव के दौरान उसे कोई भुगतान किया गया हो ऐसी कोई रसीद उसने पेश नहीं की है। स्वतः कहा कि हर्षिता एसोसिएटस वाले एकांश का बैंक खाता नंबर मांग रहे थे जो कि अभी खुला नहीं है। निश्चित रूप से जहां 07 दिन के वेतन का प्रश्न है और पीछे परिवार में मृतकगण के अलावा अन्य किसी का बैंक खाता शेष नहीं रह जाता है एवं संस्थान द्वारा इस अवधि में कोई राशि नहीं डाली गई है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मेटरनिटी लीव के पश्चात मृतका ने पुनः ज्वाइन नहीं किया हो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अप्रार्थी क्रम–03 यह मानते थे कि मृतका श्रीमती माधवी द्वारा संस्थान में पुनः ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी तो वे अपने स्तर पर भी जांच करवा सकते थे या संस्थान से दस्तावेज तलब करने हेतु अधिकरण में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर सकते थे जिससे उनके तर्को की पुष्टि होती। मृतका श्रीमती माधवी मेटरनिटी लीव पर रही थी इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जो प्रदर्श–36 Concern Letter है उसमें श्रीमती माधवी द्वारा दिनांक 4.5.2022 से 31.1.2023

तक मेटरनिटी लीव पर रहना और दिनांक 29.09.2022 को उसके संतान उत्पन्न होना एवं दिनांक 01.02.2023 से पुनः अकाउण्टेंट के पद पर कार्यरत होना बताया गया है और इस बाबत प्रदर्श–37 बैंक स्टेटमेंट है जिसमें भी श्रीमती माधवी का जो अंतिम वेतन मेटरनिटी लीव लेने से पूर्व 4.5.2022 को हर्षिता एसोसिएटस द्वारा जमा कराया गया है वह 40,000/–रूपये मासिक होना स्पष्ट है। साथ ही इस श्रीमती माधवी के संतान हुई थी इस बात की पुष्टि क्लेम याचिकाओं में प्रा.सं.–3 एकांश जो मृतकगण का पुत्र बताया गया है उसकी आयु से भी होती है जिसमें क्लेम याचिकाएं प्रस्तुत करते समय उसकी आयु 11 माह दर्ज है और दुर्घटना दिनांक 07.02.2023 को हुई है। अर्थात् दुर्घटना के समय प्रार्थी एकांश लगभग चार माह का होना दर्शित होता है जो भी यह दर्शाता है कि निश्चित रूप से मृतका मेटरनिटी लीव पर रही थी और उसके बाद उसके द्वारा पुनः उक्त संस्थान में ज्वाइनिंग दी गई थी जिससे भी अप्रार्थी पक्ष का यह कहना कि मृतका की कोई ज्वाइनिंग रिपोर्ट पेश नही हुई है केवल इतना कथन करने मात्र से यह मान लेना कि मृतका ने उक्त संस्थान में ज्वाइनिंग नहीं दी माने जाने योग्य नहीं रह जाता है जबकि अप्रार्थी पक्ष द्वारा इस संबंध में अधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है न अप्रार्थी पक्ष द्वारा संस्थान के दस्तावेज तलब करने हेतु अधिकरण में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।ऐसे में प्रार्थीगण की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। अतः अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहे है कि मृतका ने मेटरनिटी लीव के पश्चात ज्वाइन नहीं किया हो वरन उपरोक्त साक्ष्य से मृतका का दिनांक 01.02.2023 को अकाउण्टेंट के पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना प्रमाणित है। हालांकि प्रार्थीगण मृतका श्रीमती माधवी की अन्य स्रोतों से आय साबित नहीं कर सके है। परन्तु अभिलेख पर मृतका श्रीमती माधवी बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श–37 के अनुसार उसका मेटरनिटी लीव पर जाने से पूर्व वेतन 40,000/–रूपये पंजाब नेशनल बैंक में हर्षिता एसोसिएटस द्वारा जमा करना अंकित है जिसका किसी प्रकार का खण्डन अप्रार्थी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर मृतका श्रीमती माधवी की मृत्यु के समय आय 40,000/–रूपये मासिक अर्थात 4,80,000/–रूपये वार्षिक निर्धारित की जाना न्यायोचित है।

आय में वृद्धि की भावी प्रत्याशा का बिन्दुः

35. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यदि मृतका जीवित रहती तो भविष्य में उसकी आमदनी दुगनी होती अतः आमदनी में भावी वृद्धि करते हुए क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जाना चाहिए।

36. इसके विपरीत अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि मृतका की आमदनी निश्चित नहीं थी उसके कार्य की प्रकृति भी निश्चित नहीं थी। निश्चित आय का भी कोई प्रमाण पत्र प्रार्थीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है। अतः मृतका की आमदनी में भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित नहीं है।

37. उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। जहां तक प्रार्थीगण को मृतका की आय में भावी प्रत्याशा जोड़ कर क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में ध्यानपूर्वक मनन किया गया। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में प्रतिपादित विधिक स्थिति के अनुसार जहां मृतक स्थाई सेवा में नहीं रहा हो तो उस स्थिति में मृतक की उम्र 40 वर्ष से कम होने पर 40 प्रतिशत की भावी वृद्धि की जायेगी। अतः उपरोक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन लेने पर यह अधिकरण वर्तमान प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, मृतका के कार्य की प्रकृति, उसकी उम्र को मददेनजर रखते हुए मृतका की उपरोक्त आमदनी में 40 प्रतिशत की भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित समझता है। तदनुसार मृतका की उपरोक्त आमदनी में 40 प्रतिशत की भावी वृद्धि मानते हुए मृतका की वार्षिक आय 6,72,000/–रूपये निर्धारित किया जाना उचित है।

आश्रितता का बिन्दु

38. जहां तक आश्रितता का संबंध है, याचिका में मृतका पर उसके सास–ससुर व नाबालिग पुत्र को आश्रित बताया गया है। परन्तु ए.ड.1 श्रीमती संतोष गुप्ता की प्रतिपरीक्षा का अवलोकन करते है तो उसने कथन किया है कि उसके मृतक पुत्र उमंग के अलावा एक बडा बेटा और बेटी है जो दोनों ही विवाहित है। उसने उसके बडे बेटे का उनके साथ रहना बताया है। अतः यह प्रमाणित है कि मृतक के अलावा मृतक के माता पिता के एक बडा पुत्र और है जो उनके साथ ही रहता है। इसके अलावा मृतक उमंग के जीवनकाल में उसके माता पिता का अपनी बहु श्रीमती माधवी पर आश्रित माना जाना न्यायोचित नहीं है। मृतका पर उसका नाबालिग पुत्र एकांश माहेश्वरी को आश्रित होना माना जा सकता है। अतः **2009 डी.एन.जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी.टी.सी. व अन्य एवं 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में प्रतिपादित विधिक स्थिति के अनुसार मृतक के व्यक्तिगत खर्चे के लिए उपरोक्त आमदनी का 1/3 भाग कटौती करने के उपरांत मृतक की उम्र को देखते हुए 17 का गुणांक परिकल्पित कर क्षतिपूर्ति का आकलन किया जायेगा। तद्नुसार प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में = 4,48,000X17 = 76,16,000/–रूपये का प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Conventional Heads

39. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय 2009 डी.एन. जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी. टी. सी. व अन्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी** की पृष्ठभूमि में यह अधिकरण प्रार्थीगण 1 व 2 मृतका के सास –ससुर को बहु सुख, प्रेम, स्नेह व मार्गदर्शन वंचन हेतु प्रत्येक को 48,400/– रूपये(48400X2= 96,800/–रूपये), मृतका की संतान को मातृत्व सुख, स्नेह व मार्गदर्शन वंचन हेतु प्रत्येक को 48,400/–रूपये (प्रकार इस मद में कुल–1,45,200/–रूपये)दिलाया जाना न्यायोचित मानता है।

40. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय **2009 डी.एन. जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी. टी. सी. व अन्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी** में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार अंतिम संस्कार पेटे इस मद में प्रार्थीगण को एक मुश्त राशि 18,150/– रूपये दिलाया जाना उचित है।

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय **2009 डी.एन. जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी. टी. सी. व अन्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार लॉस ऑफ स्टेटस हेतु 18,150/– रूपये दिलाये जाने न्यायोचित है।

42. परिणामतः प्रार्थीगण को निम्न अनुसार प्रतिकर राशि दिलाई जाती हैः–

मद		**प्रतिकर राशि**
मृतक की आय		4,80,000/–रूपये वार्षिक
भविष्यवर्ती आय (40% वृद्धि के पश्चात)		6,72,000/– रूपये वार्षिक
मृतक स्वयं पर खर्च की जाने वाली राशि 1/3 कम करने के पश्चात आय		4,48,000/– रूपये वार्षिक
गुणांक		X17
कुल आय से होने वाली क्षति		76,16,000/–रूपये
Conventional Heads	प्रार्थीगण 1 व 2 मृतका के सास ससूर को बहु सुख वंचन हेतु प्रत्येक को 48,400/-	48,400X2= 96,800/–रूपये
	प्रार्थी क्रम-3 को माता सुख वंचन हेतु प्रत्येक को 48,400/-	48,400/–रूपये
	अंतिम संस्कार पेटे	18,150/–रूपये
	लॉस ऑफ स्टेटस हेतु	18,150/–रूपये
कुल क्षतिपूर्ति राशि का योग		**77,97,500/–रूपये**

43. अतः संपूर्ण विवेचन से प्रार्थीगण उपरोक्तानुसार कुल–77,97,500/– रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण को अवार्ड राशि पर क्लेम याचिका दायर करने की तिथि से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत है।

44. जहां तक अप्रार्थीगण के नुकसानी के दायित्व का बिन्दु है, अधिकरण ने इस निर्णय के विवाद्यक संख्या–1 में अप्रार्थी क्रम–1 ट्रेलर चालक की गलती व लापरवाही से दुर्घटना घटित होना व विवाद्यक संख्या–2 में कथित वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी अप्रार्थी क्रम–2 का होना साबित मानते हुए अप्रार्थी क्रम–1 को क्षतिपूर्ति के दायित्व को उसके नियोजक अप्रार्थी क्रम–2 में Merge किया है एवं यह भी स्वीकृत स्थिति है कि कथित वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी के पास बीमित था। **ऐसे में संपूर्ण प्रतिकर राशि की अदायगी के प्रति अप्रार्थी क्रम–2 व 3 संयुक्त अथवा पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी है।**

आदेश

45. परिणामतः उपरोक्त याचिकाओं के प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दुर्घटना दावा याचिकायें विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर निम्न प्रकार निर्णीत की जाती हैः–

(1)

याचिका संख्या–269/2023

श्रीमती संतोष गुप्ता व अन्य बनाम अमजद खान व अन्य

(अ) प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण 2 व 3 से संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक रूप से कुल–60,89,340/–रूपये (अक्षरे रूपया साठ लाख नवासी हजार तीन सौ चालीस मात्र) की राशि प्रतिकर के रूप में पाने के अधिकारी है। वे उक्त राशि पर प्रार्थना पत्र पेश करने की तिथि 07.08.2023 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है।

(ब) उक्त राशि मय ब्याज जमा होने पर प्रार्थीगण को राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाना हैः–

क्र.सं.	**नाम प्रार्थी**	**बचत खाते में राशि**	**एफ.डी.आर.**	**एफ.डी.आर. की अवधि**
01.	श्रीमती संतोष गुप्ता	4,00,000/– ***	1,00,000/–	01 वर्ष के लिए
02.	अजीत कुमार गुप्ता	4,00,000/– ***	1,00,000/–	02 वर्ष के लिए
03.	एकांश माहेश्वरी	–	50,89,340/–	21 वर्ष के लिए

(2)

याचिका संख्या–270/2023

श्रीमती संतोष गुप्ता व अन्य बनाम अमजद खान व अन्य

(अ) प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण 2 व 3 से संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक रूप से कुल–77,97,500/–रूपये (अक्षरे रूपया सतहत्त्तर लाख सतावनें हजार पांच सौ मात्र) की राशि प्रतिकर के रूप में पाने के अधिकारी है। वे उक्त राशि पर प्रार्थना पत्र पेश करने की तिथि 07.08.2023 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है।

(ब) उक्त राशि मय ब्याज जमा होने पर प्रार्थीगण को राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाना हैः–

क्र.सं.	**नाम प्रार्थी**	**बचत खाते में राशि**	**एफ.डी.आर.**	**एफ.डी.आर. की अवधि**
01.	श्रीमती संतोष गुप्ता	1,00,000/– ***	1,00,000/– 1,00,000/– 1,00,000/– 1,00,000/–	03 वर्ष के लिए 05 वर्ष के लिए 07 वर्ष के लिए 09 वर्ष के लिए
02.	अजीत कुमार गुप्ता	1,00,000/– ***	1,00,000/– 1,00,000/– 1,00,000/– 1,00,000/–	04 वर्ष के लिए 06 वर्ष के लिए 08 वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए
03.	एकांश माहेश्वरी	–	67,97,500/–	24 वर्ष के लिए

(3) ***उपरोक्त समस्त प्रतिकर राशियों पर देय ब्याज की राशि भी प्रार्थीगण श्रीमती संतोष देवी व अजीत कुमार गुप्ता के बचत खातों में समान रूप से बराबर–बराबर जमा की जाए।

(4) नाबालिग प्रार्थी एकांश माहेश्वरी को देय राशि जरिए संरक्षिका उसकी दादी श्रीमती संतोष गुप्ता के उसके सावधि खाते में जमा की जावे। **उक्त एफ.डी.आरस पर देय मासिक ब्याज भी प्रार्थी एकांश माहेश्ववरी की प्राकृतिक संरक्षिका दादी श्रीमती संतोषदेवी के बचत खाते में जमा किया जावे जिससे कि वह केवल उसके नाबालिग पौत्र एकांश माहेश्वरी का लालन–पालन, शिक्षा व अन्य आवश्यक खर्चे वहन कर सके।**

(5) अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी, प्रार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज की राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (C) 534/2020 बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक

16.03.2021 को पारित आदेश में दी गई प्रक्रिया के अनुसार इस अधिकरण के **बैंक आफ बडौदा, शाखा जे. एल. एन. हॉस्पीटल रोड, अजमेर खाता संख्या–08110100019834 जिसका IFSC CODE–BARBOAJMRAJ** है में NEFT या RTGS के माध्यम से जमा करायें एवं इस अधिकरण को 15 दिवस की अवधि में इसकी सूचना प्रस्तुत करें। शेष क्षतिपूर्ति राशि बाबत प्रार्थीगण की याचिका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

(6) सावधि राशि पर न्यायाधिकरण की स्वीकृति के बिना न तो कोई ऋण लिया जा सकेगा न ही समय पूर्व भुगतान किया जायेगा।

(7) निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को आदेश की पालना हेतु दी जायें।

(महेन्द्र कुमार ढाबी)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,
अजमेर

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार ढाबी)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,
अजमेर

VINOD KUMAR
Steno Gr II "Authenticate Document"
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.04.29 09:28:54 +0530